

वशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ (SAAs)

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(Supreme Court - SC\)](#) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने प्रत्येक ज़िले में **वशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ (Specialised Adoption Agencies - SAAs)** स्थापित नहीं की तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

- भारत के 760 ज़िलों में से **370 ज़िलों** में SAA क्रियाशील नहीं है, जबकि न्यायालय ने देश भर में SAA की स्थापना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।
- इस अंतर के कारण दत्तक ग्रहण पंजीकरण (वर्ष 2023-2024 में **13,467**) और वास्तविक दत्तक ग्रहण (लगभग 4,000) के बीच काफी असमानता पैदा हो गई है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है।
- केवल **गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और चंडीगढ़** ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पूरी तरह से पालन किया है।
- **उत्तर प्रदेश** जैसे बड़े राज्यों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, **जहाँ 75 में से 61 ज़िलों में SAA नहीं है।**
- भारत में दत्तक ग्रहण [हट्टि दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम \(HAMA\), 1956](#) (हट्टियों, जैन, सिख और बौद्धों के लिये) और [कश्मिर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#) द्वारा शासित है।
- **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority- CARA)** भारत में **अनाथ और परित्यक्त बच्चों के दत्तक ग्रहण** को वनियमित करने वाली नोडल संस्था है।
 - इसकी स्थापना वर्ष **1990** में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के तहत की गई थी।
 - यह **बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993** का हस्ताक्षरकर्ता है।
 - यह राज्य **दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA)**, **SAA**, **प्राधिकृत वदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (AFAA)**, **बाल कल्याण समितियों (CWC)** और **ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (DPU)** को नियंत्रित करता है।

//

TIMELINE OF ADOPTION LAWS IN INDIA

HINDU ADOPTION AND MAINTAINANCE ACT

1956

- **Objective**- to find children for "childless couples".
- Allowed **only hindus, sikhs, buddhists and jains** to adopt.

THE JUVENILE JUSTICE ACT

2000

- Facilitated rehabilitation of abandoned, orphaned and abused children in **formal institutions**
- extended adoption to all **religious communities**

THE JUVENILE JUSTICE ACT AMENDMENT

2006

- More concentration on **child rights**
- Terminology- "**legitimate**" parent
- Extended adoption to **single parents**
- Adoption process becomes clearer

THE JUVENILE JUSTICE ACT

2015

- terminology changes to "**lawful**" parent
- **Single male** is barred from adopting a **girl child**
- Central Adoption Resource Authority (**CARA**) becomes a statutory body
- All mechanism, processes and authorities become clear

ADOPTION REGULATIONS

2017

Laws for adoption- both within the country and overseas.

Aided clarity on :

- procedures
- requirements
- involved bodies
- rules/framework
- eligibility criteria for children and parents



और पढ़ें: [भारत में दत्तक ग्रहण](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/specialised-adoption-agencies-saas->

